मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.co.in E-mail : eanugya@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा/2019–20/1274 भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019

प्रति,

(01) संयुक्त संचालक/उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/नर्मदापुरम (होंशगाबाद)/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/
चम्बल (मुरैना)/सागर/जबलपुर/रीवा (म0प्र0)

(02) सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
समस्त जिला समस्त (म0प्र0)

विषयः–ई–अनुज्ञा पोर्टल क्रियान्वयन अंतर्गत दर्ज जानकारियों का मिलान (क्रासचेक) की कार्यवाही सुनिश्चित करने संबंधी।

–0–

दिनांक 16/08/2019 से प्रदेश की समस्त 257 कृषि उपज मण्डी समितियों में "ई–अनुज्ञा" पोर्टल का क्रियान्वयन किया जा रहा है में प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में अधिसूचित कृषि उपजों की बेहतर नियमन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये :–

01/ मण्डी समितियों में प्रवेश, अनुबंध, सौदा, तौल पत्रक/पंजी/पर्ची का संधारण किया जा रहा है। ई–अनुज्ञा पोर्टल पर दैनिक कार्य संचालन के दौरान क्रेता/व्यापारियों द्वारा मण्डी में प्रस्तुत किये जा रहे भुगतान पत्रक में अंकित की गई कृषि उपज, उसके वजन व दर का मिलान (क्रासचेक) मण्डी समिति में संधारित अनुबंध/सौदा पंजी तथा तौल पंजी/पर्ची के आंकड़ों (वास्तविक वजन) की प्रमाणिक एवं सही जानकारी से किया जाये। यदि कृषक/विक्रेता को उसकी उपज के देय मूल्य एवं मण्डी फीस की देय राशि में अंतर/अपवंचन पाया जाता है तो तत्काल समाधान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

02/ बिक्री प्रमाणकों से ई–अनुज्ञा पोर्टल पर प्रतिदिन खतौनी (प्रविष्टी/फीडिंग) फर्मवार किया जाना आवश्यक है। साथ ही मण्डी समिति में मण्डी शुल्क पंजी (परिशिष्ट–तीस) प्रतिदिन भरी जाना अनिवार्य है।

अतः ई–अनुज्ञा पोर्टल पर भुगतान पत्रक की प्रविष्टि/फीडिंग करने के उपरांत सिस्टम द्वारा स्वतः रुप से जनरेट मण्डी फीस की रिपोर्ट का प्रिंट आउट प्राप्त कर मण्डी सचिव को प्रतिदिन मैनुअली संधारित रिकार्ड से मिलान करना आवश्यक है ताकि मण्डी समिति को देय मण्डी फीस की वास्तविक प्राप्ती सुनिश्चित रहे।

03/ व्यापारी द्वारा पाक्षिक में दिये गये विक्रय प्रमाणक के आधार पर क्रय की जानकारी सिस्टम में संधारित बिक्री प्रमाणकों से तभी संभव है जब ई–अनुज्ञा पोर्टल में पूरे बिक्री प्रमाणक फीड (प्रविष्टी) किये जावें। केवल व्यापारी द्वारा पाक्षिक विवरणी में दिये गये बिक्री प्रमाणकों को ही सही माना जाना उचित नहीं है बल्कि मण्डी में मेनुअल संधारित अनुबंध एवं तौल पत्रक के

Sandeep

कासचेक के पश्चात बिक्री प्रमाणकों से दैनिक मिलान मण्डी शुल्क पंजी से किया जाना सुनिश्चित करायें।

04/ यदि मण्डियों में ई–अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज भुगतान पत्रक एवं मण्डी द्वारा मेनुअली संधारित अनुबंध एवं तौल की जानकारी में अंतर पाया जाता है तो यह सिद्ध होता है कि ई–अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज भुगतान पत्रक में अनुबंध एवं तौल के सही सही आंकड़ों का संधारण नहीं किया गया है फलस्वरुप मण्डी फीस के अपवंचन की पूरी संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में यह और भी आवश्यक हो गया है कि मण्डी द्वारा मेंनुअली संधारित अनुबंध एवं तौल की पूरी एवं सही जानकारी से इसका मिलान/कासचेक किया जाये।

05/ ई–अनुज्ञा पोर्टल की दैनिक समीक्षा करने पर यह भी संज्ञान आया है कि मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी के वाणिज्यिक संव्यवहार अंतर्गत आने वाले ई–अनुज्ञा पत्रों का सत्यापन किया जाकर दर्शित स्कंध संबंधित व्यापारी के खाते में जोड़े जाने की प्रकिया प्रचलन में है परन्तु वहीं दूसरी और व्यापारी द्वारा अपने प्रतिष्ठान से छोटी छोटी मात्रा में अनेकों बिलों के माध्यम से विकय की जाने वाले कृषि उपज की प्रविष्टि किये जाने/कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही वांछित है। जिससे व्यापारी के स्कंध से विकय होने वाले कृषि उपज के स्कंध को ई–अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिससें व्यापारी के खाते में कय–विकय की वास्तविक जानकारी में भिन्नता प्रदर्शित होती है, जो कि अत्यंत खेद का विषय है।

अतः व्यापारी के खाते से बिलों के आधार पर विकय की गई उपज की मात्रा की प्रविष्टि कराया जाना/किया जाना सुनिश्चित करायें।

(डॉ. केदार सिंह)
अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा/2019–20/1275 भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(02) अपर संचालक (समस्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(03) श्री मुशर्रफ सुल्तान, तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(04) संयुक्त संचालक (नियमन/ई–अनुज्ञा)/सहायक संचालक (नियमन), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल